

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

RBE No. 43/2009.

No.E(P&A)II-2008/RS-31

New Delhi, dated 4-3-2009.

The General Manager,
All Indian Railways & Prod. Units etc.
(As per mailing lists No.I&II).

**Subject : Reckoning of Additional allowance for the purpose of
computation of retirement benefits – clarification thereof.**


+++++

One of the Zonal Railways have sought clarification regarding reckoning of additional allowance granted to Loco Pilot (Mail), Loco Pilot (Passenger) and Mail Guard for the purpose of computations of their retirement benefits.

2. The matter has been examined in detail by the Board and it is advised that the Additional Allowance granted to Loco Pilot (Mail), Loco Pilot (Passenger) and Mail Guard vide this Ministry's letter No.PC-VI/2008/II/RSRP/1 dated 11.9.2008 is not to be taken into account for the purpose of computation of their retirement benefits.

3. Please acknowledge receipt.

4. This disposes of South Eastern Railway's letter No.Sr.AFA(PC)/6thPC/Clarification/34 dated 17.10.2008.




(Salim Md. Ahmad)
Deputy Director/E(P&A)III,
Railway Board.

No.E(P&A)II-2008/RS-31

New Delhi, dated 4-3-2009.

Copy forwarded to:-

- (i) FA&CAOs All Indian Railways & Prod. Units etc.
- (ii) The Chief Commissioner of Railway Safety, 16, Ashok Road , Lucknow.




(Salim Md. Ahmad)
Deputy Director/E(P&A)III,
Railway Board.

No.E(P&A)II-2008/RS-31

New Delhi, dated 4-3-2009.

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller & Auditor General of India, Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi.



For Financial Commissioner/Railways.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर बी ई सं. 43/2009

सं. ई (पी एंड ए)II-2008/आरएस-31

नई दिल्ली, दिनांक: 4.03.2009

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, इत्यादि
(डाक सूची I और II के अनुसार)

विषय:- अतिरिक्त भत्ते को सेवानिवृत्ति लाभों की गणना करने के उद्देश्य से शामिल करना - इस
बारे में स्पष्टीकरण ।

एक क्षेत्रीय रेलवे ने लोको पायलट (मेल), लोको पायलट (पैसेंजर) तथा मेल/एक्सप्रेस गार्ड को देय
अतिरिक्त भत्ते को उनके सेवानिवृत्ति लाभों की गणना करने के उद्देश्य से शामिल करने के बारे में स्पष्टीकरण
मांगा है ।

2. मामले की बोर्ड द्वारा गहराई से जांच की गई है तथा यह विनिश्चय किया गया है कि इस मंत्रालय के
दिनांक 11.9.2008 के पत्रांक पीसी-VI/2008/आर.एस.आर.पी./1 के तहत लोको पायलट (मेल), लोको
पायलट (पैसेंजर) तथा मेल/एक्सप्रेस गार्ड को देय अतिरिक्त भत्ते को उनके सेवानिवृत्ति लाभों की गणना करने
के उद्देश्य से शामिल नहीं किया जाएगा ।

3. कृपया पावती दें ।

4 इससे दक्षिण पूर्व रेलवे के दिनांक 17.10.2008 के पत्रांक Sr.AFA(PC)/6thPC/
Clarification/34 का निपटान होता है ।

मो. सलीम अहमद

(सलीम मो. अहमद)

उप निदेशक/ई(पी एंड ए)III

रेलवे बोर्ड

सं. ई (पी एंड ए)II-2008/आरएस-31

नई दिल्ली, दिनांक: 4.03.2009

प्रतिलिपि प्रेषित:

- (i) विस एवं मुलेधि, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां इत्यादि।
- (ii) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16, अशोक रोड, लखनऊ।

मो. सलीम अहमद

(सलीम मो. अहमद)

उप निदेशक/ई(पी एंड ए)III

रेलवे बोर्ड

सं. ई (पी एंड ए)II-2008/आरएस-31

नई दिल्ली, दिनांक: 4.03.2009

प्रतिलिपि:

भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा नं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली
(40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) को प्रेषित।

मो. सलीम अहमद

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

..... 2/-